13. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर नहीं हैं । अपील खारिज की जाती है और पक्षकार अपने-अपने खर्चे स्वयं वहन करेंगे ।

अपील खारिज की गई ।

ग्रो.

[2018] 3 उम. नि. प. 462

कविता चंद्रकांत लखानी

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य

24 अप्रैल, 2018

न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 366 – विवाह आदि करने को विवश करने के लिए स्त्री का अपहरण – अभियुक्त के विरुद्ध धारा 366 के अधीन अपराध को लागू करने के लिए स्त्री के मात्र अपहरण की बात को साबित करना ही पर्याप्त नहीं होगा, अपितु यह साबित करना भी आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा स्त्री का अपहरण उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के लिए विवश करने अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या विलुब्ध करने के आशय से किया गया था ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 366 – विवाह आदि करने को विवश करने के लिए स्त्री का अपहरण – अपहरण स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक होना – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह दर्शित होता हो कि अपीलार्थी-अभियोक्त्री और प्रत्यर्थी-अभियुक्त के बीच प्रेम-संबंध थे और अभियुक्त उसे बलपूर्वक अपने मकान पर ले गया तथा विवाह करने की बात को लेकर उसके साथ मारपीट की और अभियोक्त्री द्वारा दर्ज रिपोर्ट में मारपीट के अभिकथन करने के पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर उत्पीड़न और लज्जा भंग करने का अभिकथन सोच-विचार करने के पश्चात् किया गया हो, वहां यह साबित न होने पर कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी द्वारा अभियोक्त्री का अपहरण उसके साथ बलपूर्वक विवाह करने या उसके साथ अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करने के आशय से किया

गया था, वहां धारा 366 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त को उन्मोचित करना उचित होगा ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, अपीलार्थी-अभियोक्त्री और प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त के बीच प्रेम-संबंध थे । वे तारीख 6 सितंबर, 2003 को रात्रि में अपने मित्रों के साथ एक जन्मदिन की पार्टी में थे । पार्टी समाप्त करने के पश्चात् प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने अपीलार्थी-अभियोक्त्री को रात्रि-भोजन (डिनर) के स्थल पर छोड़ देने के लिए कहा और वह उसे इस बहाने अपनी कार में अपने मकान पर ले गया । वहां पहुंचने के पश्चात् जब अपीलार्थी ने कार से बाहर आने के लिए मना किया तो प्रत्यर्थी सं. 2 ने बलपूर्वक उसे उठाया और अपने मकान में ले गया और बिस्तर पर पटक दिया और यह कहते हुए उसके साथ मारपीट करने लगा कि वह उसके साथ विवाह क्यों नहीं कर रही है । इस मारपीट के परिणामस्वरूप उसे क्षतियां पहुंचीं । अपीलार्थी-अभियोक्त्री द्वारा लगभग एक सप्ताह पश्चात् पुलिस थाने में प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अपीलार्थी-अभियोक्त्री द्वारा पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर एक अनुपूरक कथन किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा उसका उत्पीड़न भी किया गया था और उसकी लज्जा भंग करने के लिए उसके गुप्तांगों पर अनुचित रूप से स्पर्श किया गया था । मामले में अपर मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मुंबई के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 342, 324, 354, 323 और 506 (भाग 2) के अधीन एक आरोप पत्र फाइल किया गया । प्रत्यर्थी सं. 2 ने यह उल्लेख करते हुए उन्मोचन के लिए एक आवेदन फाइल किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363/366 के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है । विद्वान् अपर मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने तारीख 3 अक्तूबर, 2006 को उन्मोचन के लिए आवेदन को नामंजूर कर दिया और मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया । प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 3 अक्तूबर, 2006 के आदेश से व्यथित होकर सेशन न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । प्रत्यथी सं. 2 ने उक्त सेशन मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन उन्मोचन के लिए और मामला निचले न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने के लिए एक प्रकीर्ण आवेदन भी फाइल किया । विद्वान् सहायक सेशन न्यायाधीश, ग्रेटर मुंबई ने तारीख 10 अप्रैल, 2007 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा फाइल किए गए प्रकीर्ण आवेदन को नामंजूर कर दिया । प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 3 अक्तूबर, 2006 और तारीख 10 अप्रैल, 2007 के आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष एक दांडिक

आवेदन फाइल किया । जब उक्त आवेदन उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो प्रत्यर्थी सं. 2 ने इस आवेदन को इस अनुरोध के साथ प्रत्याहृत कर लिया कि सेशन न्यायालय के समक्ष लंबित पुनरीक्षण आवदेन पर निपटारा होने तक मामले के विचारण को अग्रसर न किया जाए । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने कार्यवाहियों को उक्त पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा होने तक रोक दिया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने तारीख 4 जुलाई, 2007 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदन को मंजूर करते हुए तारीख 3 अक्तूबर, 2006 के आदेश को अपास्त कर दिया । विद्वान् न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी सं. 2 को न केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अपराध की बाबत अपितु भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 506(ii) के अधीन अपराधों के लिए भी उन्मोचित कर दिया । प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 324, 323 और 354 के अधीन आरोप विरचित किए गए । अपीलार्थी-अभियोक्त्री ने तारीख 4 जुलाई, 2007 के आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष एक दांडिक रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी-अभियोक्त्री द्वारा फाइल की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया । अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 366 के अधीन अपराध का गठन करने हेतु अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने शिकायत करने वाली स्त्री को किसी स्थान पर जाने के लिए उत्प्रेरित या बलपूर्वक विवश किया था, ऐसा उत्प्रेरण प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा किया गया था, ऐसा अपहरण शिकायत करने वाली स्त्री को अयुक्त संभोग करने के लिए विलुब्ध करने के आशय से और/या अभियुक्त ने संभाव्य यह जानते हुए किया था कि शिकायत करने वाली स्त्री को उसके अपहरण के परिणामस्वरूप अयुक्त संभोग करने के लिए विलुब्ध किया जाएगा । मात्र अपहरण अभियुक्त को इस शास्तिक धारा की परिधि के अधीन नहीं लाता है । जहां तक धारा 366 के अधीन आरोप का संबंध है, केवल यह निष्कर्ष पर्याप्त नहीं है कि स्त्री का अपहरण किया गया था, बल्कि यह भी साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने स्त्री का अपहरण इस आशय से किया था कि उसे किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश किया जा सकता है या यह संभाव्य जानते हुए किया

गया था कि वह विवश की जाएगी अथवा वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जा सकती है अथवा यह सम्भाव्य जानते हुए किया गया था वह अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी । अभियोजन पक्ष जब तक यह साबित नहीं कर देता कि अपहरण भारतीय दंड संहिता की धारा 366 में वर्णित प्रयोजनों के लिए किया गया है, तब तक न्यायालय अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन दोषी नहीं ठहरा सकता है । (पैरा 11)

इस अपील में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 के प्रेम-पूर्ण संबंध थे । तारीख 6 सितंबर, 2003 को अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 अपने एक मित्र की जन्म-दिन पार्टी में सम्मिलित हुए थे । शिकायत में किए गए अभिकथनों के अनुसार, तारीख 7 सितंबर, 2003 को रात्रि के बारह बजे के पश्चात् जब सभी मित्र रात्रि भोजन वाले स्थल की ओर जाने लगे तो प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपीलार्थी को उस स्थल पर छोड़ने के लिए कहा और उसे कैफे परेड मुबंई स्थित अपने मकान पर ले गया तथा उसे कार से उतरने के लिए कहा । जब उसने कार से उतरने के लिए मना किया तो प्रत्यर्थी सं. 2 ने बलपूर्वक उसे कार से बाहर खींचा और उसे उठाया तथा अपने मकान में ले गया और उसे अपने पलंग पर पटक दिया । इसके पश्चात्, प्रत्यर्थी सं. 2 यह कहने लगा "मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर रही हो" और अपने हाथों तथा कमर पर बांधने वाली पेटी से उसकी पिटाई करने लगा । उसने उसके सिर को दिवार के साथ भी टकराया । परिणामस्वरूप, उसके शरीर पर क्षतियां पहुंचीं । पूर्वाह्न में लगभग 2.00 बजे जब प्रत्यर्थी सं. 2 का पिता घर वापस आया तो वह अपीलार्थी को उसके घर ले गया । तारीख 12 सितंबर, 2003 को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । इसके एक सप्ताह पश्चात् अर्थात् तारीख 19 सितंबर, 2003 को अपीलार्थी द्वारा, अपनी माता को सारी बात बताने के पश्चात्, एक और कथन किया गया जिसमें अपीलार्थी ने उत्पीड़न किए जाने का मामला भी बनाया । उसका यह स्पष्टीकरण कि उसने ऐसा कथन पहले उलझन में होने के कारण नहीं किया था, विश्वासोत्पादक नहीं है, क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना के पांच दिन पश्चात् दर्ज की गई थी और इसलिए उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सम्यक् विचार-विमर्श करने के पश्चात् दर्ज की थी । इसके अतिरिक्त, उसने इसके एक सप्ताह पश्चात् उत्पीड़न के बारे में उल्लेख करने की सोची और तब उसे उलझन महसूस क्यों नहीं हुई ?

इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । अपीलार्थी को प्रत्यर्थी सं. 2 की कार से बाहर खींचने के कृत्य को चौकीदार द्वारा देखा गया था । ऐसी वस्तुस्थिति में, प्रकट रूप से यह स्पष्ट है कि अभिकथन प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा अपीलाथी को बलपूर्वक अपने मकान पर ले जाने की बात तक सीमित है । तथापि, उसके वस्त्र उतारने और उसे अनुचित रूप से स्पर्श करने या उत्पीड़न करने के अभिकथन बाद में जोड़े गए थे । इस न्यायालय ने अनेक बार यह अभिनिर्धारित किया है कि मात्र अपहरण की बात अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 की परिधि के अधीन नहीं लाती है । यह साबित करना चाहिए कि अभियुक्त ने स्त्री का अपहरण किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या उसे विवश किया जाएगा यह संभाव्य जानते हुए किया था अथवा उसका अपहरण उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने या उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध किया जाएगा यह संभाव्य जानते हुए किया गया था । अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं. 2 और अपीलार्थी के प्रेम-संबंध थे और इस बात की जानकारी उनके परिवारों को भी थी । प्रारंभिक अभिकथन यह हैं कि प्रत्यर्थी सं. 2 उसे बलपूर्वक अपने मकान पर ले गया था । किंतु ऐसा उसके साथ अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विलुब्ध करने के आशय से नहीं किया गया था । वास्तव में, अभियोक्त्री के अनुसार, प्रत्यर्थी सं. 2 ने पहले तो उसके प्रति प्रेम जाहिर किया और फिर अपनी कमर पर बांधने वाली पेटी से और अपने हाथों से उसकी पिटाई करने लगा और यह तथ्य अभिलेख से स्पष्ट होता है । प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा उत्पीड़न किए जाने का कथन तुरंत न करके बाद में किया गया था । प्रत्यर्थी सं. 2 के इन कृत्यों से यह दर्शित नहीं होता है कि उसने अपीलार्थी का अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ विवाह करने या उसके साथ अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से किया था । भले ही यह साबित किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 अपीलाथी को बलपूर्वक अपने मकान पर ले गया था, किंतु बाद में दिया गया यह बयान कि प्रत्यर्थी सं. 2 का आशय अपीलार्थी के साथ विवाह करने या उसके साथ अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या विलुब्ध करने का था, स्पष्ट रूप से सोच-विचार करके दिया गया बयान है । अधिक से अधिक, इस मामले को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि उन दोनों के प्रेम-संबंध थे और प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा उपरोक्त कृत्य अचानक भावनाओं के आवेग के कारण या शंका की अनुभूति की वजह से किया गया था । (पैरा 13 और 14)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] (2014) 3 एस. सी. सी. 306 :
धर्म पाल और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य और एक अन्य** ; 9

[2005] (2005) 7 एस. सी. सी. 467 :
क्रेफ फाइनेंस लि. बनाम **श्री शांति होम्स (प्रा.) लि. और एक अन्य** । 7

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक अपील सं. 459.

2012 की दांडिक रिट याचिका सं. 3766 में बम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 6 मई, 2013 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 134 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री सिदार्थ लूथरा, ज्येष्ठ अधिवक्ता, रोबिन जयसिघांनी, विकास मेहता, विजय गांधी, समीर चौधरी, (सुश्री) पुर्णिमा राज्य और (सुश्री) अनुश्री मेनन

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री महेश जेठमलानी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, निशांत आर. कटनेशवर कर, आनंद, राहुल एम, (सुश्री) आर. एन. रेड्डी और डा. सुशील बालवड

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल ने दिया ।

न्या. अग्रवाल – यह अपील 2012 की दांडिक रिट याचिका सं. 3766 में बम्बई उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 6 मई, 2013 को पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपर मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, 40वां न्यायालय, गुरगाम, मुम्बई द्वारा आपराधिक मामला सं. 215/पीडब्ल्यू/2005 में तारीख 3 अक्तूबर, 2006 को पारित सुपुर्दगी आदेश, जिसमें विद्वान् अपर मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् भारतीय दंड संहिता कहा गया

है) की धारा 363 के अधीन उन्मोचन के लिए फाइल किए गए आवेदन को नामंजूर कर दिया था, के विरुद्ध प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा फाइल किए गए 2007 के दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 1261 में विद्वान् न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, ग्रेटर बम्बई द्वारा तारीख 4 जुलाई, 2007 को पारित आदेश के विरुद्ध इस अपील में अपीलार्थी-कविता चंद्रकांत लखानी द्वारा फाइल की गई याचिका को खारिज कर दिया था । यहां यह उल्लेखनीय है कि विद्वान् न्यायाधीश, सेशन न्यायालय ने तारीख 4 जुलाई, 2007 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 को न केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अपराध के संबंध में अपितु भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 506(ii) के अधीन अपराधों के लिए भी उन्मोचित कर दिया था ।

2. **संक्षिप्त तथ्य :**

(क) इस अपील में अपीलार्थी द्वारा तारीख 12 सितम्बर, 2003 को पुलिस थाना गामदेवी, जिला मुम्बई में इस अपील में प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध 2003 की एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 247 यह उल्लेख करते हुए दर्ज की गई कि तारीख 6 सितंबर, 2003 की दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को प्रत्यर्थी सं. 2 और अपीलार्थी अपने मित्रों के साथ जन्मदिन की पार्टी में थे । पार्टी समाप्त करने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं. 2 अपीलार्थी को, जिसके साथ उसके पहले से ही प्रेम-संबंध थे, रात्रि-भोजन के स्थल पर छोड़ देने के बहाने उसे अपनी कार में कैफे परेड, मुंबई स्थित अपने मकान पर ले गया । वहां पहुंचने के पश्चात् जब अपीलार्थी ने कार से बाहर आने के लिए मना किया तो प्रत्यर्थी सं. 2 ने बलपूर्वक उसे उठाया और अपने मकान में ले गया और बिस्तर पर पटक दिया । प्रत्यर्थी सं. 2 ने उसके सारे वस्त्र उतारे और अपनी कमर पर बांधने वाली पेटी से उसकी पिटाई करने लगा तथा उसकी लज्जा भंग करने के लिए उसके गुप्तांगों पर अनुचित रूप से स्पर्श करने लगा ।

(ख) मामले में तारीख 30 मार्च, 2004 को अपर मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, 40वां न्यायालय, मुंबई के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 342, 324, 354, 323 और 506 (भाग 2) के अधीन एक आरोप पत्र फाइल किया गया । प्रत्यर्थी सं. 2 ने यह उल्लेख करते हुए उन्मोचन के लिए एक आवेदन फाइल किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है । विद्वान् अपर मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने तारीख 3 अक्तूबर, 2006 को उन्मोचन के लिए आवेदन को

नामंजूर कर दिया और मामला सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया, जिसे 2006 के सेशन मामला सं. 858 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

(ग) प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 3 अक्तूबर, 2006 के आदेश से व्यथित होकर सेशन न्यायालय के समक्ष 2006 का एक पुनरीक्षण आवेदन सं. 1261 फाइल किया । प्रत्यथी सं. 2 ने 2006 के सेशन मामला सं. 858 में भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन उन्मोचन के लिए और मामला निचले न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने के लिए 2007 का एक प्रकीर्ण आवेदन सं. 244 भी फाइल किया । विद्वान् सहायक सेशन न्यायाधीश, ग्रेटर मुंबई ने तारीख 10 अप्रैल, 2007 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा फाइल किए गए 2007 के प्रकीर्ण आवेदन सं. 244 को नामंजूर कर दिया ।

(घ) प्रत्यर्थी सं. 2 ने तारीख 3 अक्तूबर, 2006 और तारीख 10 अप्रैल, 2007 के आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष 2007 का एक दांडिक आवेदन सं. 1340 फाइल किया । तारीख 25 अप्रैल, 2007 को जब उक्त आवेदन उच्च न्यायालय के एक विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो प्रत्यर्थी सं. 2 ने इस आवेदन को इस अनुरोध के साथ प्रत्याहृत कर लिया कि सेशन न्यायालय के समक्ष लंबित पुनरीक्षण आवदेन पर निपटारा होने तक मामले के विचारण को अग्रसर न किया जाए । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने तारीख 25 अप्रैल, 2007 के आदेश द्वारा कार्यवाहियों को उक्त पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा होने तक रोक दिया ।

(ङ) विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने तारीख 4 जुलाई, 2007 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा फाइल किए गए पुनरीक्षण आवेदन को मंजूर करते हुए तारीख 3 अक्तूबर, 2006 के आदेश को अपास्त कर दिया । विद्वान् न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी सं. 2 को न केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अपराध की बाबत अपितु भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 506(ii) के अधीन अपराधों के लिए भी उन्मोचित कर दिया । प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध तारीख 13 जून, 2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 324, 323 और 354 के अधीन आरोप विरचित किए गए । अपीलार्थी ने तारीख 4 जुलाई, 2007 के आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 की एक दांडिक रिट याचिका सं. 3766 फाइल की । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा

फाइल की गई रिट याचिका को तारीख 6 मई, 2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया ।

(च) अपीलार्थी ने तारीख 6 मई, 2013 के निर्णय से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष यह अपील फाइल की है ।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री सिद्धार्थ लूथरा और प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री महेश जेठमलानी तथा प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री निशांत आर. कटनेश्वरकर को सुना ।

विचारणीय मुद्दा (मुद्दे)

4. इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या प्रस्तुत मामले के तथ्य और परिस्थितियों में अपीलार्थी के आरोपों में भारतीय दंड संहिता की धारा 366 को सम्मिलित करने के लिए मामला बनता है या नहीं ?

5. हमने दोनों पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

परस्पर विरोधी दलीलें

6. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि घटना तारीख 6/7 जुलाई, 2003 को घटी थी और अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 12 सितंबर, 2003 को रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने तारीख 16 फरवरी, 2004 को एक अनुपूरक कथन किया था और यदि शिकायत तथा अनुपूरक कथन पर इनके सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए, तो प्रत्यर्थी सं. 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 363 और 506 (ii) के अधीन अभिकथित अपराधों की बाबत उन्मोचन का कोई मामला नहीं बनता है ।

7. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने अपनी दलील के समर्थन में **क्रेफ फाइनेंस लि.** बनाम **श्री शांति होम्स (प्रा.) लि. और एक अन्य**[1] वाले मामले का अवलंब लिया । अतः, उन्होंने यह दलील दी कि आक्षेपित आदेश के साथ-साथ प्रत्यर्थी सं. 2 को उन्मोचित करने वाले

---

[1] (2005) 7 एस. सी. सी. 467.

सेशन न्यायालय के आदेश को भी इस न्यायालय द्वारा अपास्त किया जाए ।

8. तथापि, प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि शिकायत में, जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 363 और 506(ii) के अधीन अपराध कारित करने के संबंध में किंचित भी उल्लेख नहीं है और अपीलार्थी द्वारा लगभग पांच माह के पश्चात् किया गया अनुपूरक कथन केवल सोच-विचार करके केवल प्रत्यर्थी सं. 2 को अन्य धाराओं के अधीन भी फंसाए जाने के लिए किया गया है और इसलिए इसका अवलंब नहीं लिया जा सकता है ।

9. प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने **धर्म पाल और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय को निर्दिष्ट किया और यह दलील दी कि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

चर्चा

10. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यहां भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के संघटकों का उल्लेख करना प्रासंगिक है :–

> "366. **विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना** – जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह विवश की जाएगी अथवा अयुक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी, करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते

---

[1] (2014) 3 एस. सी. सी. 306.

हुए कि वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा ।"

'अपहरण' के अपराध का गठन करने के लिए किसी व्यक्ति को अवैध रूप से, बलपूर्वक या प्रवंचना करके ले जाना आवश्यक है, अर्थात् किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उत्प्रेरित करने हेतु विवश करना । इस धारा के अधीन अपराध का आधार और सार अभियुक्त का आशय है । अपराध का अवधारण अभियुक्त की स्वेच्छा, आशय और आचरण से किया जाता है; इन बातों का संबंध केवल अभियुक्त के उस आशय से होता है जिस आशय के साथ अभियुक्त स्त्री को व्यपहृत या अपहृत करता है, और प्रत्येक मामले में अभियुक्त का आशय अवधारण का महत्वपूर्ण प्रश्न होता है । जब एक बार अभियुक्त का आवश्यक आशय सिद्ध हो जाता है, तो अपराध पूर्ण हो जाता है, चाहे अभियुक्त अपने प्रयोजन को पूरा करने में सफल रहा है या नहीं, और चाहे स्त्री ने विवाह के लिए या अयुक्त संभोग के लिए सम्मति दी है या नहीं ।

11. इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन अपराध का गठन करने हेतु अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने शिकायत करने वाली स्त्री को किसी स्थान पर जाने के लिए उत्प्रेरित या बलपूर्वक विवश किया था, ऐसा उत्प्रेरण प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा किया गया था, ऐसा अपहरण शिकायत करने वाली स्त्री को अयुक्त संभोग करने के लिए विलुब्ध करने के आशय से और/या अभियुक्त ने संभाव्य यह जानते हुए किया था कि शिकायत करने वाली स्त्री को उसके अपहरण के परिणामस्वरूप अयुक्त संभोग करने के लिए विलुब्ध किया जा सकेगा । मात्र अपहरण अभियुक्त को इस शास्तिक धारा की परिधि के अधीन नहीं लाता है । जहां तक धारा 366 के अधीन आरोप का संबंध है, केवल यह निष्कर्ष पर्याप्त नहीं है कि स्त्री का अपहरण किया गया था, बल्कि यह भी साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने स्त्री को इस आशय के साथ अपहृत किया था कि उसे किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश किया जा सकता है या वह विवश की जाएगी यह सम्भाव्य यह जानते हुए किया गया था अथवा वह स्त्री अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जा सकती है या कि वह स्त्री अयुक्त संभोग

करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी यह सम्भाव्य जानते हुए किया गया था । अभियोजन पक्ष जब तक यह साबित नहीं कर देता कि अपहरण भारतीय दंड संहिता की धारा 366 में वर्णित प्रयोजनों के लिए किया गया है, तब तक न्यायालय अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन दोषी नहीं ठहरा सकता है ।

12. हमारी यह सुविचारित राय है कि निचले न्यायालयों के समक्ष फाइल किए गए सभी आवेदन और किए गए आदेशों का सार एक समान है । इस प्रक्रम पर इस न्यायालय के विचार करने के लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा फाइल किए गए अन्य आवेदनों को सभी नीचे न्यायालयों के ध्यान में नहीं लाया गया था । मामले की इस दृष्टि से, समुचित होगा कि हम वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपनी चर्चा को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के लागू होने तक सीमित रखें ।

13. प्रस्तुत मामले में, इस अपील में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 के प्रेम-संबंध थे । तारीख 6 सितंबर, 2003 को अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 अपने एक मित्र की जन्म-दिन पार्टी में सम्मिलित हुए थे । शिकायत में किए गए अभिकथनों के अनुसार, तारीख 7 सितंबर, 2003 को रात्रि के बारह बजे के पश्चात् जब सभी मित्र रात्रि भोजन वाले स्थल की ओर जाने लगे तो प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपीलार्थी को उस स्थल पर छोड़ने के लिए कहा और उसे कैफे परेड मुबंई स्थित अपने मकान पर ले गया तथा उसे कार से उतरने के लिए कहा । जब उसने कार से उतरने के लिए मना किया तो प्रत्यर्थी सं. 2 ने बलपूर्वक उसे कार से बाहर खींचा और उसे उठाया तथा अपने मकान में ले गया और उसे अपने पलंग पर पटक दिया । इसके पश्चात्, प्रत्यर्थी सं. 2 यह कहने लगा "मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर रही हो" और अपने हाथों तथा कमर पर बांधने वाली पेटी से उसकी पिटाई करने लगा । उसने उसके सिर को दिवार के साथ भी टकराया । परिणामस्वरूप, उसके शरीर पर क्षतियां पहुंचीं । पूर्वाह्न में लगभग 2.00 बजे जब प्रत्यर्थी सं. 2 का पिता घर वापस आया तो वह अपीलार्थी को उसके घर ले गया । तारीख 12 सितंबर, 2013 को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । इसके एक सप्ताह पश्चात् अर्थात् तारीख 19 सितंबर, 2003 को अपीलार्थी द्वारा, अपनी माता को सारी बात बताने के पश्चात्, एक और कथन किया गया जिसमें अपीलार्थी ने उत्पीड़न किए जाने का मामला भी

बनाया । उसका यह स्पष्टीकरण कि उसने ऐसा कथन पहले उलझन में होने के कारण नहीं किया था, विश्वासोत्पादक नहीं है, क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना के पांच दिन पश्चात् दर्ज की गई थी और इसलिए उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सम्यक् विचार-विमर्श करने के पश्चात् दर्ज की थी । इसके अतिरिक्त, उसने इसके एक सप्ताह पश्चात् उत्पीड़न के बारे में उल्लेख करने की सोची और तब उसे उलझन महसूस क्यों नहीं हुई ? इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । अपीलार्थी को प्रत्यर्थी सं. 2 की कार से बाहर खींचने के कृत्य को चौकीदार द्वारा देखा गया था । ऐसी वस्तुस्थिति में, प्रकट रूप से यह स्पष्ट है कि अभिकथन प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा अपीलार्थी को बलपूर्वक अपने मकान पर ले जाने की बात तक सीमित है । तथापि, उसके वस्त्र उतारने और उसे अनुचित रूप से स्पर्श करने या उत्पीड़न करने के अभिकथन बाद में जोड़े गए थे । इस न्यायालय ने अनेक बार यह अभिनिर्धारित किया है कि मात्र अपहरण की बात अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 की परिधि के अधीन नहीं लाती है । यह साबित करना चाहिए कि अभियुक्त ने स्त्री का अपहरण किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या उसे विवश किया जाएगा यह संभाव्य जानते हुए किया था अथवा उसका अपहरण उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने या उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध किया जाएगा यह संभाव्य जानते हुए किया गया था । अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं. 2 और अपीलार्थी के प्रेम-पूर्ण संबंध थे और इस बात की जानकारी उनके परिवारों को भी थी । प्रारंभिक अभिकथन यह हैं कि प्रत्यर्थी सं. 2 उसे बलपूर्वक अपने मकान पर ले गया था । किंतु ऐसा उसके साथ अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विलुब्ध करने के आशय से नहीं किया गया था । वास्तव में, अभियोक्त्री के अनुसार, प्रत्यर्थी सं. 2 ने पहले तो उसके प्रति प्रेम जाहिर किया और फिर अपनी कमर पर बांधने वाली पेटी से और अपने हाथों से उसकी पिटाई करने लगा और यह तथ्य अभिलेख से स्पष्ट होता है । प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा उत्पीड़न किए जाने का कथन तुरंत न करके बाद में किया गया था । प्रत्यर्थी सं. 2 के इन कृत्यों से यह दर्शित नहीं होता है कि उसने अपीलार्थी का अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ विवाह करने या उसके साथ अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से किया था ।

14. भले ही यह साबित किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 अपीलार्थी

को बलपूर्वक अपने मकान पर ले गया था, किंतु बाद में दिया गया यह बयान कि प्रत्यर्थी सं. 2 का आशय अपीलार्थी के साथ विवाह करने या उसके साथ अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या विलुब्ध करने का था, स्पष्ट रूप से सोच-विचार करके दिया गया बयान है । अधिक से अधिक, इस मामले को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि उन दोनों के प्रेम-पूर्ण संबंध थे और प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा उपरोक्त कृत्य अचानक भावनाओं के आवेग के कारण या शंका की अनुभूति की वजह से किया गया था । इसके अतिरिक्त, पक्षकारों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेलों द्वारा अवलंब लिए गए विनिश्चय इस मामले के तथ्यों को लागू नहीं होते हैं ।

15. पूर्वागामी चर्चा को देखते हुए, हमारी यह राय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन आरोप बनाए रखने योग्य नहीं है और उच्च न्यायालय ने ठीक ही ऐसा अभिनिर्धारित किया है । तथापि, चूंकि यह मामला वर्ष 2003 से लंबित है और अभी भी आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर है, इसलिए हम विचारण न्यायालय को यह निदेश देना उचित समझते हैं कि विचारण न्यायालय इस निर्णय के पारित होने की तारीख से 6 माह के भीतर विचारण को पूरा करें । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय में अभिलिखित की गई मताभिव्यक्तियां केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के लागू होने के प्रयोजन के लिए हैं और विचारण न्यायालय गुणागुण के आधार पर मामले का विनिश्चय करेगा । यह अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.